चुनाव अत्यावश्यक

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांकः-प.12(6)साप्र/2/2023

जयपुर, दिनांकः 26.04.23

-: आदेश :-

राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी घोषणा के अनुसार पंचायतीराज संस्थाओं में जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों, सरपंच व पंच एवं उपसरपंच के रिक्त पदों पर उप चुनाव माह अप्रेल-मई, 2023 में करवाये जाने से संबंधित प्राप्त पत्र की प्रति संलग्न कर भिजवाई जा रही है। उक्त पंचायतीराज संस्थाओं में निर्वाचन की लोकसूचना दिनांक 17.04.2023 को जारी हो गई है एवं मतदान दिनांक 07.05.2023 (रविवार) को होगा। अतः आदर्श आचार संहिता भाग-7 की पालना सुनिश्चित करने का श्रम करें:-

1. माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव समाप्ति तक शासकीय दौरे पर नहीं जायेगें। केवल ऐसी स्थिति में जहां कानून व्यवस्था बिगड़ जाने पर या किसी आपात स्थिति के कारण संबंधित विभाग के माननीय मंत्री की उपस्थिति आवश्यक है, वहां उक्त प्रतिबंध लागू नहीं होगा लेकिन इसकी सूचना विभाग के शासन सचिव द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी जावेगी।
2. माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में दौरे पर रहे तो वे किसी सरकारी वाहन का प्रयोग नहीं करें और यदि निजी वाहन का प्रयोग करते है तो उस पर लालबत्ती या सायरन आदि का प्रयोग नहीं करें।
3. माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में दौरे पर रहे तो चुनाव से संबंधित अधिकारियों को नहीं बुलाऐं।
4. माननीय मंत्रीगण जब चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में रहें वहां स्थित विश्राम गृह, डाक बंगलों या अन्य सरकारी आवासों का या इससे संलग्न परिसरों का उपयोग प्रचार कार्यालय के रूप में या चुनाव से संबंधित कोई बैठक करने की दृष्टि से नहीं करें।
5. सरकारी विश्राम गृहों, डाक बंगलों या अन्य सरकारी आवासों को निष्पक्ष तरीके से अन्य दलों या अभ्यर्थियों को भी उपयोग करने की अनुमति दी जायेगी लेकिन वे भी उनका चुनाव से संबंधित कार्य में इस्तेमाल नहीं करेंगे।
6. सरकारी अधिकारी, माननीय मंत्रीगण के दौरे के समय उनके किसी स्वागत में या प्रोटोकॉल में नहीं जायेगें। उक्त आदर्श संहिता बोर्ड/निगम के अध्यक्ष, जिन्हें मंत्री/राज्यमंत्री का दर्जा प्राप्त है पर भी समान रूप से लागू होंगे।

संलग्नः- उंपरोक्तानुसार।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(शैली किशनानी)
विशिष्ठ शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
3. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
7. सचिव (जीजी), माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मुख्यमंत्री कार्यालय ।
8. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण, राजस्थान जयपुर।
9. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
10. मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव ,राज्य निर्वाचन आयोग,राजस्थान,जयपुर को उनके पत्र कमांक 1203 दिनांक 06.04.2023 के कम में।
11. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव /विशिष्ठ शासन सचिवगण।
12. निदेशक, पंचायती राज विभाग,जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि चुनाव विभाग से प्राप्त निर्देशों की पालना को सुनिश्चित करावें।
13. निबन्धक ,राजस्व मण्डल, अजमेर।
14. निजी सचिव, शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग ।
15. समस्त संभागीय आयुक्त।
16. समस्त जिला कलक्टर।
17. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर बैंच, जयपुर।
18. संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
19. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान जयपुर।
20. समस्त विभागाध्यक्ष राजस्थान/समस्त निगम/मण्डल के अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक।
21. सहायक शासन सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-1,3,4,5,6)विभाग/सम्पदा विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
22. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करें।
23. रक्षित पत्रावली ।

Signature valid
Digitally signed by Shaily Kishnani
Designation: Special Secretary To Government
Date: 2023.04.26 15:31:20 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3709964

12/4/23
...संयुक्त शासन सचिव, सामान्य प्रशासन,
...शासन सचिवालय, राजस्थान,
...मोटर गैराज, नागरिक उड्डयन विभाग,
राजस्थान

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)
(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवं Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांक:एफ. 7(2)(3)/पंचा/रानिआ/2022/1203 दिनांक: 06/04/2023

शासन सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

विषयः– पंचायतीराज संस्थाओं के उप चुनाव माह अप्रेल–मई, 2023 – स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव।

महोदय,

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं में रिक्त पदों पर उप चुनाव कराने हेतु कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचन की लोक सूचना दिनांक 17.04.2023 को जारी होगी एवं मतदान दिनांक 07.05.2023 को होगा। कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही राज्य के संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान लागू हो गये हैं। आदर्श आचरण संहिता के भाग–7 की पालना सुनिश्चित करें। इस भाग–7 में वर्णित बिन्दुओं की पालना के साथ–साथ निम्नांकित बिन्दुओं पर भी राजकीय आदेश प्रसारित करना वांछनीय है:–

1. माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव समाप्ति तक शासकीय दौरे पर नहीं जायेंगे। केवल ऐसी स्थिति में जहां कानून व्यवस्था बिगड़ जाने पर या किसी आपात स्थिति के कारण संबंधित विभाग के माननीय मंत्री की उपस्थिति आवश्यक है, वहां उक्त प्रतिबंध लागू नहीं होगा लेकिन इसकी सूचना विभाग के शासन सचिव द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी जायेगी।
2. माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में दौरे पर रहें तो सरकारी वाहन का प्रयोग नहीं करें और यदि निजी वाहन का प्रयोग करते हैं तो उस पर सायरन आदि का प्रयोग नहीं करें।
3. माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में दौरे पर रहें तो चुनाव से संबंधित अधिकारियों को नहीं बुलाऐं।
4. माननीय मंत्री गण जब चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में रहें वहां स्थित विश्राम गृह, डाक बंगलों या अन्य सरकारी आवासों का या इससे संलग्न परिसरों का उपयोग प्रचार कार्यालय के रूप में या चुनाव से संबंधित कोई बैठक करने के लिए नहीं करें।
5. सरकारी विश्राम गृहों, डाक बंगलों या अन्य सरकारी आवासों को निष्पक्ष तरीके से अन्य दलों या अभ्यर्थियों को भी उपयोग करने की अनुमति दी जायेगी, लेकिन वे भी उनका चुनाव से संबंधित कार्य में इस्तेमाल नहीं करेंगे।
6. संबंधित अधिकारी, माननीय मंत्रीगण के दौरे के समय उनके किसी स्वागत में या प्रोटोकॉल में नहीं जायेंगे।

अतः उपरोक्तानुसार निर्देश प्रसारित कर आयोग को भी अवगत करावे।

सलंग्नः–चुनाव कार्यक्रम एवं आदर्श आचरण संहिता।

भवदीया,
चित्रा
(चित्रा गुप्ता)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

क्रमांक:एफ. 7(2)(3)/पंचा/रानिआ/2022/1204 दिनांक: 06/04/2023

प्रतिलिपि समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) (पंचायत) को सूचनार्थ प्रेषित है।

(पिंकी शर्मा)
सहायक सचिव

S(ग्रुप-2)
12/4
13/4/23

सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर
प्राप्ति संख्या 1258259
दिनांक 17 APR 2023

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

पंचायतीराज संस्थाओं के उप चुनाव माह अप्रेल–मई, 2023 – उप चुनाव कार्यक्रम

➢ जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के लिए

क्र.स.	कार्य का विवरण	तिथियां
1	जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियम 58 के अन्तर्गत निर्वाचन की अधिसूचना जारी करने की तिथि	17.04.2023 (सोमवार)
2	नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय	25.04.2023 (मंगलवार) प्रातः 11.00 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक (शनिवार एवं रविवार को छोड़कर)
3	नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की तिथि एवं समय	26.04.2023 (बुधवार) प्रातः 11.00 बजे से
4	नाम वापसी की तिथि एवं समय	27.04.2023 (गुरूवार) अपरान्ह 3.00 बजे तक
5	चुनाव प्रतीकों का आवंटन एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन	27.04.2023 (गुरूवार) नाम वापसी का समय समाप्त होने के तुरन्त पश्चात्
6.	मतदान की तिथि एवं समय	07.05.2023 (रविवार) प्रातः 8.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक
7.	मतगणना 1. जिला परिषद सदस्य – जिला मुख्यालय पर 2. पंचायत समिति सदस्य – पंचायत समिति मुख्यालय पर	09.05.2023 (मंगलवार) प्रातः 9.00 बजे से

चित्रा

➢ सरपंच एवं पंच के लिए

क्र.स.	कार्य का विवरण	तिथियां
1	जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियम 23 सपठित 56 के अन्तर्गत निर्वाचन की लोकसूचना जारी करने की तिथि	17.04.2023 (सोमवार)
2	नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि एवं समय	30.04.2023 (रविवार) प्रातः 10.00 से सांय 5.00 तक
3	नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की तिथि एवं समय	01.05.2023 (सोमवार) प्रातः 10.00 से
4	नाम वापसी की अंतिम तारीख एवं समय	01.05.2023 (सोमवार) अपरान्ह 3.00 बजे तक
5	चुनाव प्रतीकों का आवंटन एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन	01.05.2023 (सोमवार) नाम वापसी का समय समाप्त होने के तुरन्त पश्चात्
6	मतदान की तिथि एवं समय	07.05.2023 (रविवार) प्रातः 8.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक
7	मतगणना (पंचायत मुख्यालय पर)	07.05.2023 (रविवार) मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात्
8	उपसरपंच का चुनाव	08.05.2023 (सोमवार)

उपसरपंच के चुनाव के लिए समय–सारणी	
बैठक हेतु नोटिस जारी करना	प्रातः 09.00 बजे से पूर्व
बैठक का प्रारम्भ	पूर्वाह्न 10.00 बजे
नाम निर्देशन पत्र/प्रस्तावों के प्रस्तुतिकरण का समय	पूर्वाह्न 11.00 बजे तक
नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा	पूर्वाह्न 11.30 बजे तक
चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना एवं चुनाव चिन्हों का आवंटन	पूर्वाह्न 11.30 से अपराह्न 12.00 बजे तक
मतदान, यदि आवश्यक हुआ तो	अपराह्न 12.00 बजे से 01.00 बजे के मध्य
मतगणना एवं परिणाम की घोषणा	मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात्

चित्रा